UPBJ010051062021

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06074

विशेष सत्र परीक्षण सं0 887/2021

सरकार बनाम दिनेश कुमार आदि।

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट) बिजनौर आप अभियुक्तगण **दिनेश कुमार, हरलाल व श्रीमती वीरवती** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 12–12–2020 को समय 3.00 बजे सांय स्थित ग्राम चमरौला उर्फ मौहम्मदपुर त्रिलोक अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर में आपने वादनी मुकदमा श्रीमती उर्वशी/पीड़िता से दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़िता किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 498 ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय की पूर्ति हेतु वादनी मुकदमा श्रीमती उर्वशी को दहेज की मांग को लेकर वादनी मुकदमा की की मॉ व प्रार्थनी की चोटी पकड़ कर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323 सपठित 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादनी मुकदमा श्रीमती उर्वशी व उसकी मॉ को गन्दी–2 गालिया देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादनी मुकदमा श्रीमती उर्वशी व उसकी मॉ को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा श्रीमती उर्वशी से शादी में दिये गये दहेज के अतिरिक्त जो वादनी मुकदमा के मॉ के नाम 4 बीघा जमीन थी, उसकी जमीन अपने नाम कराने के लिये दहेज के रूप में मांग की। इस प्रकार आपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादनी मुकदमा श्रीमती उर्वशी को अतिरिक्त दहेज की मांग को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया तथा जातिसूचक शब्द चमार चट्टी कहते हुये उसकी चोटी पकड़ कर मारपीट कर उपहति कारित यह जानते हुए किया कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। इस प्रकार

आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 3(2) 5 क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 25–08–2022

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 25–08–2022

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।